DISTRICT AND SESSIONS JUDGE DIVISION
IN THE COURT OF DEEPAK KUMAR-I
Addl. District and Sessions judge-II cum special judge Vigilance.

SPL. VIGILANCE CASE NO- 08/2026

22-06-2026

वाद के दोनो अभियुक्त राम अनुग्रह नारायण सिन्हा व अरूण कुमार सिंह अनुपस्थित है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि मूल वाद स्पेशल निगरानी 06/2006 से उपरोक्त अभियुक्त का वाद पृथक किया गया मूल वाद में अभियुक्त के विरूद्व NBW, धारा 82 द0प्र0स0 तथा 83 द0प्र0स0 प्रोसेस जारी किया जा चुका है। परन्त पृथक वाद में अभियुक्त आज तक अनुपस्थित है। दिनांक 06. 06.2026 अभियुक्त की अनुपस्थिति में लोक अभियोजक निगरानी को निर्देश दिया गया कि U/S -299 crpc के अंतर्गत साक्ष्य पुस्तुत करे। परन्तु लोक अभियोजक निगरानी अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य कराना नहीं चाहते हैं। लोक अभियोजक निगरानी के निवेदन पर U/S -299 crpc के अंतर्गत साक्ष्य बंद किया जाता है तथा अभियुक्तो को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्तो के विरूद्व स्थाई अधिपत्र (Permanent Warrant) जारी करे तथा नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

22-6-26

(Deepak Kumar-I)

Spl. Vigilance Judge (Trap)

Bhagalpur.